

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

53

निगरानी 1040—दो / 2007

जिला सतना

सुरेश प्रताप सिंह

विरुद्ध

रामेश्वर सिंह


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ता एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-6-2018	<p>आवेदक अभिभाषक श्री संतोष मिश्रा रत्नमाला एंव अनावेदक अभिभाषक प्रमोद मिश्रा के तर्क सुने। अनावेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि अनावेदक कमांक 1 रामेश्वर सिंह व 2 अंकपति सिंह की मृत्यु हो गई है और उनका कोई सम्पर्क मृतक अनावेदकों के वारिसों ने नहीं है। आवेदक अभिभाषक से वारिसों के संबंध में काफी समय से जानकारी प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये परन्तु उनकी ओर से मृतक अनावेदकों के वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण वर्ष 2007 से अर्थात लगभग 11 वर्षों से लंबित है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण अवृट् (अवृट्) की जाती है। पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">21/6/15 (आर० के मिश्रा) सदस्य</p> 	

५२

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०प्र० राजस्व मन्डल ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्र० १०७

R 1040-II/07



1- सुरेशप्रताप सिंह

2- अवेंश प्रतापसिंह | तत्य महेश सिंह एवं श्रीमती महाराज कुमारी

3- श्रीमती ज्ञानवती सिंह पुत्री महाराज कुमारी एवं महेश सिंह,

क्रमांक ८९५०५५
जिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक १९-६-०७ को प्राप्त जिला छलसनउन उ०प्र० ----- आवेदक गण

बलर्क ओँड कर्ट
जाइख मण्डल म.ग्र. ग्वालियर

वनाम

1- रामेश्वरसिंह

2- गंगमाल सिंह

3- मरतराजसिंह

4- गुणेश्वरसिंह

तनय तिलकराजसिंह सा० बेला। हिंबारा। तहसील

रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०

----- अनावैदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्

अपर कमिशनरीवा संभाग रीवादि०

2-3-07 बावत प्रकरण क्र० 328/ अपील/

81-82

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व संहिता

सन 1959

प्रकरण के संदर्भ में तथ्य

I क। यहकि विवादित प्रपि सखवैव सिंह की सम्पत्ति थी, उनके पारने

प्राप्ति मिली तनावता
1/6/07

16
Subj.
Commissioner's Office
Revenue Division
District: Mewat